हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 27 मार्च, 2015/6 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14;

   (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(a), और 10(1) के अन्तर्गत प्राथमिक गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शिका जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-ए(3)-02/2009 दिनांक 01.08.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2014 को प्रकाशित;

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 01.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(c,d &e), और 15(2) के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-ए(3)02/2009-I दिनांक 12.09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित;

(v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान स्तर की सतर्कता समिति स्थापित करना जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 20.11.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित; और

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 21.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.08.2014 को प्रकाशित।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **94वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **95वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **96वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 71वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ; और

(iv) समिति का **97वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 73वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **34वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन पर आधारित है; और

(ii) समिति के **79वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(4) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **वन विभाग** द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान</u>:-

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में मुद्रित कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004 — सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 26 मार्च, 2015 — सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)